31–01–2017

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त रिंकू व गौरव उर्फ सिल्पी जेल से उपस्थित आये।

अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त केस की घटना के सम्बन्ध में सत्र वाद संख्या 369/2016, 370/2016, 371/2016 व 372/2016 जो गिरफ्तारी व बरामदगी से सम्बन्धित है। व इसी न्यायालय में विचाराधीन है तथा सभी सत्रवादो में अभियोजन पक्ष के साक्षी एव अभिलेखीय साक्ष्य समान है। उनका विचारण अलग–अलग किये जाने से निर्णय में भिन्नता आने की सम्भावना है। इसलिये सभी केसो का विचारण एक साथ किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें

सुना, पत्रावली का अवलोकन किया।

मुख्य पत्रावली तथा सम्बन्धित सत्र वादो की पत्रावली के अवलोकन से विदित हैं कि उपरोक्त सत्रवाद एक ही घटना की बरामदगी से सम्बन्धित है, एवं उनका विचारण अलग–2 किये जाने से निर्णय मे भिन्नता आने एवं न्यायालय का अत्यधिक समय लगने की सम्भावना बलवित होती है। अतएवः अभियोजन पक्ष का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है।

आदेश

अभियोजन पक्ष का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। सत्र वाद संख्या 369/2016,370/2016,371/2016 व 372/2016 को सत्र वाद संख्या 24/2016 के साथ समेकित किया जाता है। सत्रवाद संख्या 24/2016 की पत्रावली लीडिंग पत्रावली रहेगी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत दिनांक 20–02–2017 को पेश हो। अभियोजन अपने साक्षी न्यायालय में उपस्थित कराना सुनिश्चित करे।

अपर जिला एवं सत्र

न्यायाधीश/एफ0टी0सी0–II

गौतमबुद्धनगर